

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सोनभद्र ।  
पीठासीन: अनिल कुमार खरवार, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा ।  
परिवाद केस संख्या-2885 / 2011

नरेन्द्र नाथ बनाम राम अचल  
धारा-138 एन0आई0 एक्ट

थाना-राबर्ट्सगंज, जिला- सोनभद्र ।

**-:बयान मुल्जिम:-**

नाम- पिता का नाम- उम्र- वर्ष, पेशा-

निवासी- थाना- जिला-

**प्रश्न:** यहकि आपने परिवादी से माह मार्च 2011 में 40हजार रूपये का मुर्गा चूजा कय किया जिसमें से रू06000/- नगद उसी वक्त दे दिया तथा शेष रू0 34हजार के बावत आपने चेक संख्या-820939 खाता संख्या-30657687898 भा0स्टेट बैंक शाखा राजगढ़ का दिया। परिवादी ने उक्त चेक को दिनांक 23.08.2011 को भुगतान हेतु बैंक में जमा किया तो आपके खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण उक्त चेक 24.08.2011 को अनादृत हो गया। इस पर परिवादी ने आपको दिनांक 16.09.2011 को जरिए अधिवक्ता कानूनी नोटिस प्रेषित किया। उसके बावजूद भी आपने परिवादी को उक्त धनराशि का भुगतान नहीं किया। इस संबंध में आपको क्या कहना है?

**उत्तर:**

प्रश्न: मुकदमा क्यों चला?

उत्तर:

प्रश्न: क्या कुछ और कहना है?

उत्तर:

दिनांक 25.11.2016

बयान मेरी श्रवणगोचरता में मेरे द्वारा अंकित किया गया, इसमें बयानकर्ता के कथनों का पूर्ण एवं सत्य वर्णन अन्तर्विष्ट है।

सुनकर तस्दीक किया।

(अनिल कुमार खरवार),  
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
सोनभद्र ।